एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9627/2006
गोरधनप्रसाद बनाम एडीशनल सिविल जज व अन्य

17.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री शिवचरन गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री जे.पी.गोयल, अधिवक्ता अयाची सं.2 की ओर से।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

इस रिट याचिका में याची ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) संख्या 1, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2006 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उनकी ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 दीवानी प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह आपत्ति ली है कि आक्षेपित आदेश से विचारण न्यायालय ने संबंधित दावे को प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीचंद के विरुद्व शमन (अबेट) हुआ माना है, अत: उस आदेश के विरुद्व जिला न्यायाधीश के समक्ष आदेश 42 नियम 1 (त) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपील पोषणीय है। अत: यह रिट याचिका निरस्त की जानी चाहिये। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि उनके द्वारा आवेदनपत्र आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किया गया था, न कि आदेश 22 नियम 9 के तहत। अब जबकि एक ही आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उसे विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया है तो उसके विरुद्व रिट याचिका पोषणीय नहीं होगी। आदेश 22 नियम 4 के तहत पारित किये गये आदेश के विरुद्व कोई अपील का प्रावधान नहीं है। उन्होनें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 4346 के.रुदप्पा बनाम शिवप्पा एवं 2003 (10) एस.सी.सी. पेज 691 का अवलम्ब लेते हुए यह भी बहस की है कि यदि एक ही आवेदनपत्र आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किया जाय तो न्यायालय, ऐसा आवेदनपत्र मात्र इस तकनीकी आधार पर कि आदेश 22 नियम 9 के अन्तर्गत पृथक

आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, निरस्त नहीं कर सकता कि अबेटमेन्ट अपास्त कराने तथा देरी माफ कराने के लिये कोई अलग से आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मेरी राय में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण आक्षेपित आदेश की प्रकृति से किया जायेगा न कि आवेदनपत्र में की गयी प्रार्थना से या उसमें दर्शाये गये प्रावधानों से। आक्षेपित आदेश में न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा 90 दिवस के अन्दर वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करना तथा उसके पश्चात 60 दिवस के अन्दर अबेटमेन्ट को निरस्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर दावे को प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्व शमित हुआ माना है। अत: ऐसे आदेश के विरुद्व जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील पोषणीय होगी न कि रिट याचिका।

अत: यह याचिका इसी आधार पर निरस्त की जाती है। परन्तु इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान जो समय व्यतीत हुआ उसके बाबत याचिकाकर्ता धारा 14 मर्यादा अधिनियम, 1963 का लाभ लेने का अधिकारी होगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति